

The 20 APR 2015

MEMORANDUM

In supersession of this Department's Memorandum No.F.31-2/2013-Grants dated 9 September, 2013, for the Scheme of Financial Assistance to States/ Union Territories Archival Repositories, Government Libraries and Museums, the Grants Committee is hereby re-constituted for two financial years i.e. 2015-2016 and 2016-2017 which will consist of the following members:-

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Director General of Archives,
National Archives of India
Janpath, New Delhi-110 001 | Chairperson |
| 2. | Director
A&A,
Ministry of Culture
Shastri Bhawan
New Delhi-110 001. | Member |
| 3. | Shri Pratapanand Jha,
Director,
Cultural Informatics,
Indira Gandhi National Centre for Arts
Rajendra Prasad Road
New Delhi 110 001 | Member |
| 4. | Prof. Arvind Sinha
Centre for Historical Studies,
Jawahar Lal Nehru University,
New Delhi-110 067 | Member |
| 5. | Smt. Anamika Pathak,
Curator, (Decorative Art),
Decorative Art and Publication
National Museum,
Janpath,
New Delhi-110 001 | Member |
| 6. | Sh. A.K. Mathur
Retired Superintending Archaeological
Chemist, Archaeological Survey of India,
K-40 A, Saket,
New Delhi-110 017 | Member |
| 7. | Dr. Ramesh Gaur, Librarian
Central Library,
Jawahar Lal Nehru University,
New Delhi-110 067 | Member |

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 8. | Dr. Rajwanti Mann,
Deputy Director,
Haryana State Archives,
Sector-5
Panchkula ,
Haryana. | Member |
| 9. | Director,
Karnataka State Archives,
Room No.126, 1 st Floor,
Vikas Soudha,
Bangalore-560 001
Karnataka | Member |
| 10. | Superintendent,
Odisha State Archives,
Post Box No.35,
Sachivalaya Marg,
Bhubaneswar-751 001
Odisha | Member |
| 11. | Director ,
Punjab State Archives,
Puralekh Bhavan,
Plot No.3, Sector-38 A,
Chandigarh-160 036
Punjab | Member |
| 12. | Director,
Rajasthan State Archives,
Bikaner-334 001
Rajasthan | Member |
| 13. | Commissioner-Cum-Secretary,
Sikkim State Archives,
Cultural Affairs and Heritage Department,
Government of Sikkim,
Old Assembly Building,
Zero Point, Gangtok-737 101
Sikkim | Member |
| 14. | Deputy Director of Archives
National Archives of India
Janpath
New Delhi-110 001. | Member Secretary |

Besides, the Chairperson, Grants Committee, may invite expert (s)/professional(s) to attend meeting(s) of the Grants Committee, and/or to tender advice to the Grants Committee.

In case of unavoidable/unforeseen circumstances, an official member may depute his representative to attend meetings of the Grants Committee under prior intimation to the Member-Secretary of the Grants Committee.

II. TENURE:

The Grants Committee is re-constituted for two financial years i.e. 2015-16 and 2016-17. The term of the Grants Committee will expire on 31 March, 2017. The Members will also be eligible for re-appointment.

III. SECRETARIAT

The Secretariat of the Committee will be at the National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001.

IV. MEETINGS:

The Committee shall ordinarily meet at least once in a financial year depending upon the number of applications received and availability of funds.


V. TERMS OF REFERENCE:

The scope of the Committee's activities shall be the following:

To act as a forum to scrutinize all applications/ proposals received under the scheme from Archival Repositories, Libraries and Museums of State/UT Administrations who will submit their application/proposal recommended/approved by the State Level Screening Committee (SLSC) to the Chairperson, Grants Committee, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001. Where there is no SLSC, the application should be recommended/approved by the Secretary of the Controlling/Administrative department of the respective State Government/UT Administration. The Committee will recommend specific amount of grant to be released for the execution of the proposal.

VI. ALLOWANCES:

Members of the Committee will be entitled to draw TA/DA for attending the meetings of the Committee as admissible under the rules. All the special invitees will be entitled to TA/DA etc. at par with the members of the Grants Committee.



(Dr. M.A. Haque)
Deputy Director of Archives
Government of India

To,

All Members of the Grants Committee with a copy of the Scheme.

जारी किया.....
Issued.....
प्रेषक सं०.....
Disp. No.....
तिथि.....
Date.....

मि. संख्या. 31-2/2015- अनुदान

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय अभिलेखागार

जनपथ, नई दिल्ली- 110 001

ईमेल : archives@nic.in

दिनांक...2...0...APR 2015

ज्ञापन

पूर्व ज्ञापन सं.31-2/2013-अनुदान दिनांक 9 सितम्बर, 2013 का अधिक्रमण करते हुए राज्य संघ/शासित, क्षेत्र अभिलेखीय भंडारणों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना हेतु अनुदान समिति का एतद्वारा दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2015-2016 और 2016-2017 के लिए पुर्नगठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. अभिलेख महानिदेशक,
राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ
नई दिल्ली-110 001
अध्यक्ष
2. निदेशक,
ए एण्ड ए
संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001
सदस्य
3. श्री प्रतापानन्द झा,
निदेशक,
सांस्कृतिक सांयन्त्रिक संचार
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र,
राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली- 110 001
सदस्य
4. प्रोफेसर अरविन्द सिन्हा,
सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110 067
सदस्य
5. श्रीमती अनामिका पाठक
क्यूरेटर, (डेकोरेटिव आर्ट)
डेकोरेटिव आर्ट और प्रकाशन
राष्ट्रीय संग्रहालय
जनपथ, नई दिल्ली-110 001
सदस्य

6. श्री ए. के. माथुर
सेवानिवृत्त सुपरिन्टेन्डिंग आरकेयलोजिकल कैमिस्ट,
आरकेयलोजिकल सर्वे आफ इंडिया,
के- 40 ए, साकेत,
नई दिल्ली- 110 017
सदस्य
- डा. रमेश गौर,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
केंद्रीय पुस्तकालय,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110 067
सदस्य
7. डा. राजवंती मान,
उप निदेशक,
हरियाणा राज्य अभिलेखागार,
सेक्टर- 5,
पंचकुला, हरियाणा
सदस्य
8. निदेशक
कर्नाटक राज्य अभिलेखागार,
कमरा न.126 प्रथम तल,
विकास सौधा,
बंगलुरु- 560 001
कर्नाटक
सदस्य
9. सुपरिन्टेन्डेन्ट
ओडिशा राज्य अभिलेखागार
पोस्ट बाक्स न. 35,
सचिवालय मार्ग,
भुवनेश्वर- 751 001
ओडिशा
सदस्य
10. निदेशक
पंजाब राज्य अभिलेखागार,
पुरालेख भवन,
प्लॉट न.3, सेक्टर- 38 ए,
चंडीगढ़- 160 036
पंजाब
सदस्य

12. निदेशक,
राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
बीकानेर- 334 001
राजस्थान

सदस्य

13. आयुक्त-सह-सचिव,
सिक्किम राज्य अभिलेखागार,
क्लचरल अफेयरस एंड हेरिटेज विभाग,
सिक्किम सरकार,,
पुराना विधानसभा भवन,
जीरो पॉइंट, गैंगटोक- 737 101
सिक्किम

सदस्य

14. अभिलेख उपनिदेशक,
राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ
नई दिल्ली-110 001

सदस्य सचिव


इसके अलावा, अध्यक्ष, अनुदान समिति किसी विशेषज्ञ/विषय के जानकार को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने और/या अनुदान समिति को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

अपरिहार्य/अनपेक्षित परिस्थितियों में कोई भी सदस्य अनुदान समिति के सदस्य सचिव को पूर्व सूचना देकर अपने प्रतिनिधि को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

2. कार्यकाल - अनुदान समिति का पुर्न गठन दो वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2015-2016 और 2016-17 के लिए किया जाता है। अनुदान समिति की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो जाएगी। सदस्य पुनः नियुक्त किए जाने के भी पात्र होंगे।
3. कार्यालय- समिति का सचिवालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 में होगा।
4. बैठकें- अनुदान की उपलब्धता तथा प्राप्त आवेदनों को ध्यान में रखते हुए एक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की साधारणतया कम से कम एक बैठक होगी।
5. विचारार्थ विषय- समिति की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र इस प्रकार होगा।

विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखीय भंडारणों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों द्वारा योजना के अन्तर्गत भेजे गये प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों को जो राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति (एस.एल.एस.सी) द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किए गए हों और अध्यक्ष, अनुदान समिति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 को प्राप्त हुए हों, की छानबीन के लिए समिति फोरम की तरह कार्य करेगी। जहां संवीक्षा समिति नहीं है, उस मामले में आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के नियंत्रक/प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किया गया हो। समिति प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए जारी किए जाने वाले अनुदान की निश्चित राशि की सिफारिश करेगी।

6. भत्ते - समिति के सदस्यों को नियमानुसार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया जायेगा। सभी विशेष आमंत्रित, अनुदान समिति के सदस्यों के समान ही टीए/डीए आदि के हकदार होंगे।



(डा.एम.ए. हक)

अभिलेख उप-निदेशक

भारत सरकार।

अनुदान समिति के सभी सदस्यों को योजना की एक प्रति सहित प्रेषित।